

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तादाई)

उनवान

कौलाशी देवी पत्नी मनमोहन जाति मीना निवासी फतेहगंज उर्फ परास्या तहसील उनियारा जिला टोंक हाल
निवासी भुज (टापर) गुजरात

- वादी

बनाम


1. रामावतार पुत्र रामकिशोर जाति जाट मीना निवासी फतेहगंज उर्फ परास्या तहसील उनियारा जिला टोंक
 2. पप्पू पुत्र रामकिशोर जाति जाट मीना निवासी फतेहगंज उर्फ परास्या तहसील उनियारा जिला टोंक
 3. रामबबधेश पुत्र रामकिशोर जाति जाट मीना निवासी फतेहगंज उर्फ परास्या तहसील उनियारा जिला टोंक
 4. भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति जाट मीना निवासी फतेहगंज उर्फ परास्या तहसील उनियारा जिला टोंक
- प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :- 8 वर्ष 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 ब
हाजरी श्री बी0एल0कासलीवाल वकील वादी मिनजानिब मुद्दई वकील मिनजानिब मुद्दायलह..... पेश
होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जाता है कि वे आ0ख0न0 625/506 रकबा 0.74 , 626/506 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम फतेहगंज
तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नही करे। फरीकेन खर्च अपना-अपना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत, के आज तारीख 30 माह 07 सन् 2015 को जारी की

गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

कैलाशी v/s रामानंदर
शान्ति स्थायी निषेधाज्ञा
मु. नं. 8/2015

30-7-15

पत्राचार की प्रतीति वाली प्रतीति वरील
उपाधिकार/प्रतिवर्तीकरण का उल्लंघन वरील
से उल्लंघन का काल-काल के लिये लागू
गर्भ (प्रतिवर्तीकरण की प्रतीति मोर्च
की उपाधिकार नही थी काल-प्रतिवर्तीकरण
के विरुद्ध एक प्रतीति वरील प्रतीति
के लिये जल्दी ही वरील वरील वरील
वरील प्रतीति प्रतीति वरील वरील
का उपाधिकार उल्लंघन का उल्लंघन
प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति
2069 के 2072 वरील प्रतीति प्रतीति
के उपाधिकार प्रतीति प्रतीति 625/506
626/506 के उपाधिकार की 0-77
0-75 वरील प्रतीति प्रतीति
के प्रतीति वरील प्रतीति वरील प्रतीति
का मोर्च उल्लंघन नही है प्रतीति वरील
वरील प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति
को प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति
प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति
625/506, 626/506 के उपाधिकार प्रतीति
0-74, 0-75 वरील प्रतीति प्रतीति
प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति
प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति
प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति
प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति
प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

उप खण्ड अधिकारी
सुनिश्चिता जिला टॉक